न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 46/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 पवन कुमार जाजू पुत्र जगदीश जाजू जाति माहेश्वरी निवासी घाणा मार्केट मेडतासिटी जिला नागौर। फर्म–जगदीश प्रसाद रामेश्वरलाल, घाणा मार्केट मेडतासिटी। 2 जगदीश जाजू पुत्र रामनिवास जाजू जाति माहेश्वरी निवासी घाणा मार्केट मेडतासिटी जिला नागौर। फर्म–जगदीश प्रसाद रामेश्वरलाल, घाणा मार्केट मेडतासिटी। 3 श्रीमती किरणलता पत्नी संजय कुमार निवासी सेवगो का मोहल्ला मेडतासिटी। फर्म–मधुसूदन मनीष कुमार, वांकीदास मूलराज वंगला मेडतासिटी। 4 श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल पुत्र रमेशचन्द्र अग्रवाल निवासी डी–191 बी, जगदीश मार्ग बनीपार्क, जयपुर 302016। फर्म–मैसर्स हरि ऑयल मिल्स प्राईवेट लि., 64 इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा, जयपुर 302012। 5 फर्म–मैसर्स हरि ऑयल मिल्स प्राईवेट लि., 64 इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा, जयपुर 302012।

दिनांक :21.07.2022

आदेश

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 21-12-2020 को जगदीश प्रसाद रामेश्वरलाल, घाणा मार्केट मेडतासिटी पर खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (वीर बालक) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1474 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/705/एक्ट/2020/322 दिनांक 31.12.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (वीर बालक) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पवन कुमार जाजू पुत्र जगदीश जाजू जाति माहेश्वरी निवासी घाणा मार्केट मेडतासिटी जिला नागौर, जगदीश जाजू पुत्र रामनिवास जाजू जाति माहेश्वरी निवासी घाणा मार्केट मेडतासिटी जिला नागौर, किरणलता पत्नी संजय कुमार निवासी सेवगो का मोहल्ला मेडतासिटी, चन्द्रप्रकाश अग्रवाल पुत्र रमेशचन्द्र अग्रवाल निवासी डी–191 बी, जगदीश मार्ग बनीपार्क, जयपुर 302016, मैसर्स हरि ऑयल मिल्स प्राईवेट लि. 64 इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा, जयपुर 302012 ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 03-09-2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से दिनांक 16.12.2021 को श्रीमती अरूणा मुण्डेल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 ने दिनांक ने दिनांक 13.01.2022 को अपना जवाव प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 02 को दिनांक 17.06.2022 के जरिये रजिस्टर्ड नोटिस के तलव किया गया। जो बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहा है। अप्रार्थी संख्या 04 व 05 ने दिनांक 21.07.2022 को अपना जवाव पेश कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाव में वताया की खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दूकान से तेल का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। मैं न तो निर्माता हूं न ही मेरे पास एजेन्सी है। मैं मैसर्स मधुसूदन मनीष कुमार से तेल खरीदकर बेचता हूं। अप्रार्थी संख्या 03 ने अपने जवाव में वताया की खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स जगदीश प्रसाद रामेश्वरलाल जाजू फर्म से वीर वालक सरसो का तेल का नमूना लिया था जो मिसब्राण्ड होना पाया गया। मैं न तो निर्माता हूं न ही पेकर हूं। इसकी मेरे पास एजेन्सी है। मैंने माल हरि ऑयल मील्स प्राईवेट लिमिटेड जयपुर से खरीदा एवं उसी स्थिति में आगे फर्म को वेचा था। अप्रार्थी संख्या 04 व 05 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स जगदीश प्रसाद रामेश्वरलाल जाजू से तेल का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया उक्त गलती को मैंने अब सुधार लिया है। भविष्य में ऐसे जुर्म की पुनरावर्ती नहीं होगी। अप्रार्थीगण द्वारा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/705/एक्ट/2020/322 दिनांक 31.12.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (वीर बालक) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 पवन कुमार जाजू पुत्र जगदीश जाजू जाति माहेश्वरी निवासी घाणा मार्केट मेडतासिटी जिला नागौर, अप्रार्थी संख्या 02 जगदीश जाजू पुत्र रामनिवास जाजू जाति माहेश्वरी निवासी घाणा मार्केट मेडतासिटी जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 03 किरणलता पत्नी संजय कुमार निवासी सेवगो का मोहल्ला मेडतासिटी पर रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 04 चन्द्रप्रकाश अग्रवाल पुत्र रमेशचन्द्र अग्रवाल निवासी डी–191 बी, जगदीश मार्ग बनीपार्क, जयपुर 302016, तथा अप्रार्थी संख्या 05 हरि ऑयल मिल्स प्राईवेट लि. 64 इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा, जयपुर 302012 पर संयुक्त रूप से रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये, कुल 60,000/– अक्षरे साठ हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)